



भारत सरकार  
Government of India  
विद्युत मंत्रालय  
Ministry of Power  
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण  
Central Electricity Authority  
पी. डी. एम. प्रभाग  
Power Data Management Division

To,  
Managing Director,  
Chhattisgarh State Power Generation Co. Ltd.,  
5th Floor Vidyut Sewa Bhawan, Dangania,  
Raipur-492013. (Chhattisgarh)

**Subject: Retirement of Unit no. 1 to 4 (4\*50MW) of Korba-II Power Station of Chhattisgarh State Power Generation Company Limited-regarding.**

Ref No.: 1836/F 21/05/2019/13/2 dated 29.07.2019 from Special Secretary, Energy Department, Chhattisgarh

Sir,

This is with reference to above referred order received from Special Secretary, Energy Department, Chhattisgarh wherein it is mentioned that the decision to retire Unit No. 1-4 (4\*50MW) of Korba-II has been taken by Chhattisgarh State Power Generation Company Limited (CSPGCL).

It is seen that the Board of Directors of CSPGCL has decided to retire the Unit-1 to 4 (4\*50MW) of Korba-II Power Plant in its meeting held on 05.05.2018.

The decision to retire Unit-1 to 4 (4\*50 MW) of Korba-II Power Station has been taken by Chhattisgarh State Power Generation Co. Ltd., based on their own techno-economic reasons and based on their decision, the capacity of these units are being deleted from the database of All India Installed Capacity.

Yours faithfully

Sd/-  
(P.C.Kureel)  
Secretary, CEA

Copy for information to:

1. PPS, Secretary, MoP
2. SA to Chairperson, CEA
3. SA to Member (Planning/Hydro/Thermal/ E&C/ GO&D/PS), CEA
4. All Chief Engineers of CEA
5. All Heads of Subordinate offices, CEA
6. IT Division, CEA for uploading on CEA website



भारत सरकार  
Government of India  
विद्युत मंत्रालय  
Ministry of Power  
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण  
Central Electricity Authority  
पी. डी. एम. प्रभाग  
Power Data Management Division

सेवा में,

Managing Director,  
Chhattisgarh State Power Generation Co. Ltd.,  
5th Floor Vidyut Sewa Bhawan, Dangania,  
Raipur-492013. (Chhattisgarh)

**विषय: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के कोरबा- II पावर स्टेशन की इकाई सं.1 से 4 (4\*50MW) के रिटायरमेंट -के संबंध में |**

सन्दर्भ: विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ से प्राप्त पत्र 1836 / एफ 21/05/2019/13/2 दिनांक 29.07.2019

महोदय,

यह विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ से प्राप्त उपर्युक्त आदेश के संदर्भ में है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कोरबा-II पावर स्टेशन की इकाई क्रमांक 1 से 4 (4\*50MW) को रिटायर करने का निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) द्वारा लिया गया है।

यह देखा गया है कि CSPGCL के निदेशक मंडल ने 05.05.2018 को आयोजित अपनी बैठक में कोरबा- II पावर प्लांट की यूनिट -1 से 4 (4\*50MW) को सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया है।

कोरबा- II पावर स्टेशन के यूनिट -1 से 4 (4\*50 मेगावाट) को रिटायर करने का निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा अपने स्वयं के तकनीकी-आर्थिक कारणों के आधार पर लिया गया है और उनके निर्णय के आधार पर, इन इकाईयों की क्षमता को अखिल भारतीय स्थापित क्षमता के डेटाबेस से हटाया जा रहा है।

भवदीय,

(पी.सी. कुरील)  
सचिव, के.वि.प्रा.

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

1. पी.पी.एस., सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय
2. अध्यक्ष, के.वि.प्रा. के वरिष्ठ सहायक
3. सदस्य (योजना/ जल विद्युत/ तापीय/ आ.एवं वा. / जी.ओ.एंड डी./ पी.एस.), के.वि.प्रा.
4. के.वि.प्रा. के सभी मुख्य अभियंता
5. के.वि.प्रा. के सभी अधिनस्थ कार्यालयों के प्रधान
6. आई.टी.प्रभाग, के.वि.प्रा. को के.वि.प्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए